IV 202 S.R.-I

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

29 APR 2017

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 410450

ट्रस्ट डीड

मै कि **श्रीमति मछलादेवी** पत्नी श्री वीरेन्द्र सिह निवासी ग्राम
शाहबुददीनपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर का हूँ
जो कि मै शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करना तथा समाज के विभिन्न
वर्गो के लिये उच्चस्तरीय शिक्षा संस्थान [illegible]थापित करना चाहती
हूँ। अतः मै स्वेच्छा से अंकन 1.00,000/ -रू0 (एक लाख रुपये
मात्र) की प्रारम्भिक पूंजी जो कि ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी से एक
ट्रस्ट की घोषणा [illegible] स्थापना करती हूँ। जिसे सिद्धान्त, स्वरूप व
संचालन आदि के लिये निम्नलिखित प्र[illegible]र से मर्यादित व व्यवस्थित
किया जाता है।

1. नाम :– ट्रस्ट का नाम " भगवती शेरसिंह मैमोरियल ग्लोबल ट्रस्ट " होगा।

2. कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :– [illegible]स्ट का प्रधान कार्यालय "निवास
वीरेन्द्र सिंह निकट राजपू[illegible] मन्दिर ग्राम – शाहबुददीनपुर जिला
मुजफ्फरनगर मे रहेगा। ट्रस्ट के हित मे लक्ष्य प्राप्ति के लिये
प्रधान कार्यालय क[illegible] थानान्तरणभी किया जा सकता है। भविष्य
में ट्रस्ट के शाख[illegible] कार्यालय विभिन्न स्थानो पर स्थापित किये जा
सकते हैं। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र पूरा भारत/वर्ष रहेगा।

3. उद्देश्य:– इस ट्रस्ट के स्वरूप में प्रत्युपकार, सार्वजनिक हित व
सार्व[illegible]लक एवं सर्वोतोन्मुखी शैक्षणिक विकास की लक्ष्य दृष्टि
विद्यमान है। अतः

मछला देवी

5 स्टाम्प क्रय की तिथि 13-5-13
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर ला०सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2016

1000 x 1 = 1000-00
500 x 1 = 500-00
50 x 3 = 150-00
1650-00

100.000.00

न्यास की राशि

फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
1,000.00	20	1,020.00	800

श्रीमती मछला देवी
पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी शाहबुदीनपुर जिला मुजफ्फरनगर
अस्थायी पता

मछला देवी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/5/2013 समय 3:40PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मछला देवी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपममाहेश्वरी [शम्भू नि0लि0]
प्र0उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
13/5/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

श्रीमती मछला देवी मछला देवी
पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी शाहबुदीनपुर जिला मुजफ्फरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अनुंज सौलंकी अनुज सोलंकी
पुत्र श्री नरेश सौलंकी
पेशा व्यापार
निवासी शाहबुदीनपुर जिला मुजफ्फरनगर
व श्री संजीव कुमार
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी तहसील सदर मुजफ्फरनगर
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपममाहेश्वरी [शम्भू नि0लि0]
प्र0उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
13/5/2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 606239

(अ) सम्पूर्ण भारत वर्ष में शिक्षा की सेवा ही ट्रस्ट प्रथम उद्देश्य है तथा उसमें कोई जाति, वर्ण व लिंग भेद–भाव, आदि नहीं किया जायेगा।

(आ) विश्वविद्यालय, स्थानीय शासन, प्रादेशिक व केन्द्रीय एजेन्सी और सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेन्ड्री एजूकेशन से सम्बद्ध प्राथमिक/उच्च/उच्चतर शिक्षण संस्थान स्थापित कर उच्च कोटि की आधुनिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करना।

(इ) मानव कल्याण व मानवाधिकार की रक्षा के लिये योग विद्या, वेदाध्ययन, योग व मैडीटशन सम्बन्धी अनुसंधान व उसके समस्त लाभ के लिये उसकी कक्षायें चलाना व उनकी उपयोगिता को प्रचारित करना एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये प्रौद्योगिकी केन्द्र, प्रौढ शिक्षा व समानता के सिद्धान्त से निःशुल्क उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना तथा स्कूल व कॉलेज सम्बन्धी व उनके विषयों को पढाना व आ रही समस्याओं का समाधान करके उनकी शिक्षण व्यवस्था कराना।

(इ) ट्रस्ट के आधीन चलने वाली व अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र छात्रो के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा अन्य धार्मिक

मल्लिका देवी

5 स्टाम्प क्रय की तिथि 13-5-13
स्टाम्प की धनराशि 500/-
शामिल नम्बर 4 किया गया।

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर फोन सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2016

न्यासी

Registration No.: 202 Year : 2,013 Book No. : 4

0101 **मछला देवी**

वीरेन्द्र सिंह

शाहबुद्दीनपुर जिला मुजफ्फरनगर

गृहिणी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 927061

संस्थाओं व सामाजिक कार्यक्षेत्र में देशकाल व पात्रता व परिस्थिति के अनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना व समबद्ध बनाना।

(उ) तकनीकी, गैर तकनीकी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा के लिये स्कूल, उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी उच्च महाविद्यालय, उच्चतर प्रौद्योगिकी विद्यालय व कॉलेज व वाचनालय की स्थापना करना। सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक कक्षाओं को चलाना व उनका प्रचार व प्रसार करना तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान व उससे सम्बन्धित कार्यक्षेत्रों को देखना व उन पर आवश्यक निर्णय लेना व समाज के कल्याणार्थ सेवायें प्रदान करना।

(ऊ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति व सामाजिक उत्थान के लिये पुस्तकालय स्थापित करना, विभिन्न समाचार व पत्रिकाओ की व्यवस्था करना उनका प्रकाशन कराना व सारी व्यवस्थायें चलाना।

(ए) सद्विवेक उद्बोधन प्रक्रियायें आस्था केन्द्र स्थापित करना तथा मानवता के प्रति रूचि जागृत करना।

(ऐ) शिक्षा क्षेत्र एवं संस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने वाली राष्ट्र उपयोगी योजनायें संचालित करना।

महसा देवी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AM 927062

(च) रोजगारोन्मुख कार्यों के अन्तर्गत प्रशिक्षित पुरूषों/महिलाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।

(छ) अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम ग्रामीण वाचनालय/पुस्तकालय, बागबाडी/आंगनबाडी संचालन, वैकल्पिक उर्जा के कार्यक्रम, कौशल विकास के शिविर, शैक्षणिक भ्रमण, कानूनी सलाह आदि कार्यों का संचालन करना।

(ज) महिलाओं एवं पुरूषों में नियमित खेलकूद की भावना जागृत करना एवं वैदिक संस्कृति को जन-जन के बीच पहुंचाने हेतु सांस्कृतिक प्रतियोगितायें, नाट्य शिविरों एवं योग शिविरों आदि का आयोजन करना।

(झ) राष्ट्रीय विकास कार्यों में भागीदारी हेतु प्रतिरक्षा अभियान, परिवार कल्याण, जनसंख्या शिक्षा, श्रमदान एवं स्थानीय योजनाओं के प्रति जानकारी एवं जनचेतना उत्पन्न करना।

(ण) सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु संस्था द्वारा बाल विवाह, नशाखोरी, दहेजप्रथा आदि के बारे में गोष्ठियों का आयोजन।

महला देवी

(य) पर्यावरण संरक्षण हेतु पेडों की सुरक्षा, वृक्षारोपण, धूम्ररहित चूल्हे एवं सोलर कूकर का प्रचार प्रसार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रम का निर्माण, विकलांग आश्रम, अनाथ आश्रम, कुश्ठ आश्रम का निर्माण एवं स्वच्छ पेयजल योजना आदि कार्यक्रम संचालित करना।

(र) ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षा व निम्न शिक्षा के लिये शिक्षा पीठ/विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है तथा उच्च व उच्चतर शिक्षा के प्रसार के लिये तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिये विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित नई तकनीकी व बेसिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था कराने के लिये उनके कोर्सों की फ्रेंचाई ले सकेगा तथा लक्ष्य की उपलब्धि की दृष्टि से अपने पाठ्यक्रम की परीक्षायें भी आयोजित कर सकेगा। राजकीय स्वीकषति एवं मान्यता एतदर्थ प्राप्त कर सकता है।

4. सम्पत्ति :– संस्थापक द्वारा प्रदत्त अंकन 1,00,000/– रूपये ट्रस्ट की प्राथमिक सम्पत्ति है। इस राशि से या अन्य प्रकार सें भविश्य में जिस चल व अचल सम्पत्ति की वृद्धि होगी, वह भी ट्रस्ट की सम्पत्ति कही जायेगी। यह वृद्धि ट्रस्ट के उद्देष्य प्राप्त करने के लिये क्रय व विक्रय से, ब्याज, चंदे, किराये, उपहार, अनुदान शुल्क या ऋण आदि के द्वारा व सशर्त निधि के द्वारा सहमति से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्ति व आय ट्रस्ट द्वारा बनाये गये उपनियमों के अन्तर्गत, उद्देश्यो के अनुसार ट्रस्टियों के बहुमत से उनके विवेकानुसार लाभार्थियों पर व्यय की जायेगी। अचल सम्पत्ति का दषश्टिकोण भी चल सम्पत्ति जैसा माना जायेगा।

5. यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय संस्थानों का संचालन व्यवस्था इसी ट्रस्ट के द्वारा सीधे की जायेगी अथवा ट्रस्ट उनके लिये समितियां भी नियुक्त कर सकेगा तथा उन समितियों के अधिकार व कर्तव्य व नियम आदि भी निर्धारित करेगा। समिति के पदाधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।

6. ट्रस्ट का संचालन :– ट्रस्ट की समग्र व्यवस्था तथा संचालन के लिये एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा जिसमे अधिकतम 11 व न्यूनतम 4 ट्रस्टी होंगे। इस ट्रस्ट द्वारा मनोनीत सभी ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी होगें प्ररन्तु यदि ट्रस्टी चाहें तो बहुमत से निर्णय लेकर अन्य आजीवन ट्रस्टी बढाये जा सकते है। प्रथम बोर्ड आफ ट्रस्टीज निम्न प्रकार होगा जिसमे कुल चार ट्रस्टी निम्न प्रकार होंगे जिन्होने अपनी स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

(1) श्रीमति मछलादेवी पत्नी श्री वीरेन्द्र सिह निवासी ग्राम शाहबुददीनपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर –अध्यक्ष

(2) श्री दिवाकर विक्रम सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शाहबुददीनपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

–मंत्री/सचिव

मछला देवी

(3) श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेरसिंह निवासी ग्राम शाहबुददीनपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर –ट्रस्टी

(4) श्रीमति मोनिका पुन्डीर पत्नी श्री हर्ष पुण्डीर निवासी राजीव गांधी कॉलोनी ननौता जिला सहारनपुर – ट्रस्टी

7. ट्रस्टी दो प्रकार के होंगे – आजीवन ट्रस्टी व साधारण ट्रस्टी। संस्थापक द्वारा नियुक्त सभी ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी होंगे। आजीवन ट्रस्टी द्वारा नियुक्त आजीवन ट्रस्टी भी मनोनीत ट्रस्टी की तरह आजीवन ट्रस्टी माने जायेंगे। शेष नियुक्त ट्रस्टी साधारण ट्रस्टी होंगे। आजीवन ट्रस्टीयों को छोडकर सभी ट्रस्टीयों के अधिकार व कर्तव्य सामान्य होंगे और उनका कार्य ट्रस्ट की व्यवस्था व संचालन मे आजीवन ट्रस्टीयों का हाथ बंटाना होगा।

8. ट्रस्टी का कार्यकाल – आजीवन ट्रस्टीयों के अतिरिक्त अन्य सभी ट्रस्टीयों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा। आजीवन ट्रस्टीयों की सहमति से साधारण ट्रस्टीयों का कार्यकाल बढाया जा सकता है तथा नये ट्रस्टी नियुक्त किये जा सकते हैं।

9. बैठकों का प्रधान तथा उनका संचालक क्रमशः अध्यक्ष व सचिव/मंत्री होगें।

10. ट्रस्ट व उसके द्वारा स्थापित संस्थायो व विभिन्न कार्यो के सफल संचालन के लिये आजीवन ट्रस्टी अपने विवेक से समिति/उप समिति का गठन कर सकते है तथा उसे भंग कर सकते है। नियुक्त समिति अपने कार्य के लिये सीधे तौर पर मुख्य आजीवन ट्रस्टीयों के प्रति जबाबदेह होगी।

11. बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक मे उपस्थित ट्रस्टीज का बहुमत का मत मान्य होगा। समानता की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय सर्व मान्य होगा।

12. सभी प्रकार के ट्रस्टी अथवा समिति के सदस्यो की अहर्यता निम्न कारणो से समाप्त मानी जायेगी।

(अ) सदस्य के पागल होने पर।
(आ) त्यागपत्र स्वीकार होने पर।
(इ) न्यायालय द्वारा किसी भी अनैतिक कार्य के लिये दोषी पाये जाने पर।
(ई) न्यायलय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर।
(उ) ट्रस्ट के उदेदश्यो के विपरीत कार्य करने पर अथवा ऐसी गतिविधियो मे सक्रिय पाये जाने पर।

13. ट्रस्ट व समितियो के सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने व कराने का दायित्व मंत्री/सचिव का होगा। मंत्री/सचिव ही व्यवस्थापक माना जायेगा और वह अपने सहयोग के लिये वैतनिक/अवैतनिक सहायक रख सकेगा। वेतन का निर्धारण बैठक में ट्रस्ट के उपलब्ध संसाधनों व पात्रता के आधार पर होगा।

मदन देवी

यदि कोई ट्रस्टी तकनीकि या शिक्षा सम्बन्धी या सम्बन्धित उद्देश्यों की प्राप्ति में ट्रस्ट के लिये अतिरिक्त समय देता है और उसका हर्जा होता है तो उस दशा में आजीवन ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार से उसे कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक दे सकते है परन्तु उसके लिये ट्रस्टी के पास विशेष योग्यता होना आवश्यक है।

14. ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था कार्यकलाप व गतिविधियों के लिये उद्देश्यों के संदर्भ में भारतीय संविधान के अन्तर्गत व देशकाल के अनुरूप नियम व उपनियम बनानें, उनमें परिवर्तन का कार्य आजीवन ट्रस्टी सहमति से करेंगे।

15. ट्रस्ट कोई व्यवसायिक कार्य ट्रस्ट के हित में देश काल , पात्र , परिस्थितियों के अनुसार कर सकता है।

16. ट्रस्ट की आय व व्यय का पूरा ब्योरा रखने की जिम्मदारी मंत्री / सचिव की होगी।

17. ट्रस्ट की धनराशि को सार्वजनिक बैंकों में जमा कराया जायेगा तथा अन्य प्रतिभूतियों में भी रखा जा सकता है। सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत, जैसा समयानुसार आवश्यक हो, ट्रस्ट के लिये,, धन की व्यवस्था व लेन–देन आजीवन ट्रस्टी अपने विवेक से करेंगे। जो भी धनराशि जहाँ जमा होगी उसको कोंई भी दो नामित आजीवन ट्रस्टी अपनें संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाल सकेंगे। **नामित ट्रस्टी के नाम समय के अनुसार बदले जा सकते है।**

18. ट्रस्ट की धनराशि किसी विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्था या फर्म आदि में ट्रस्ट के उद्देष्यों के अनुसार यदि उचित हो तथा उनका विनियोजन करना आवश्यक हो तो ऐसा किया जा सकता है। आजीवन ट्रस्टी अपनी सहमति के बहुमत से ऐसा कर सकेंगे।

19. किसी कारणवश ट्रस्टीगण इस निष्कर्श पर पहुंचे कि ट्रस्ट की संचालन व व्यवस्था में ट्रस्टीगण व आजीवन ट्रस्टीगण कारगर नहीं हो पा रहे हैं अथवा कोई अपनी मजबूरी हो अथवा कोई कानूनन स्थिति बने उस दशा में स्थायी न्यासियों व उस समय के न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वें इस ट्रस्ट को सक्रिय व योग्य व्यक्ति को उप ट्रस्टी बनाकर एक निश्चित समय के लिये कार्य चलवायें।

20. किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर या आजीवन न्यासियों की सहमति व अन्य न्यासियों की राय के अनुसार मुख्य ट्रस्टी / न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के हित में , ट्रस्ट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विक्रय कर सकते है,

महला देवी

किराये पर दे सकते है अथवा उसका तबादला कर सकते है अथवा उसे खाली करा सकते है। यदि आवश्यक हो विनियोजित व स्थायी सम्पत्ति का विक्रय किया भी किया जा सकेगा। आजीवन ट्रस्टी द्वारा बहुमत की सहमति से ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये भूमि भवन आदि अचल सम्पत्ति कभी भी क्रय विक्रय की जा सकती है अथवा बैंक आदि मे बंधक की जा सकती है। सम्पत्ति क्रय करने की दशा मे किसी एक आजीवन ट्रस्टी के हस्ताक्षर प्रर्याप्त होंगे प्ररन्तु विक्रय अथवा बंधक की स्थिति मे सचिव तथा एक अन्य नामित आजीवन ट्रस्टी के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

21. यदि धारा –3 में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति किसी कारणवश नहीं की जा सकती और उसका आगे क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं रह गया है और ट्रस्टी (संस्थापक) उद्देश्य की प्राप्ति में समय नहीं दे रहे हैं अथवा कोष के संसाधन समाप्त हो गये हैं और मामला किसी कानूनी क्रियाओं में अथवा वाद में फंस गया हो तो उस विपरीत स्थिति में मौजूदा ट्रस्ट को समाप्त किया जा सकता है अथवा उसका विलय अन्य ट्रस्ट मे किया सकता है तथा सभी ट्रस्टीयो ने इस ट्रस्ट में जो भी अपना सहयोग धन व सम्पत्ति आदि से दिया है और विनियोजित किया है सबसे पहले उनको क्षतिपूर्ति सहित उनकी धनराशि व सम्पत्ति वापिस कर दी जायेगी एवं ट्रस्टी यदि कोई सम्पत्ति अथवा धन आदि अपने निजी आय से खर्च करते हैं अथवा ट्रस्ट में दिया है ट्रस्ट के समाप्त होने पर उसे वापिस पाने के अधिकारी होंगे।

22. सभी प्रकार के विवादो के लिये क्षेत्राधिकार जनपद मुजफ्फरनगर मे होगा।

23. न्यास में जो भी कार्य करेंगे वह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समर्पण की भावना से किया गया कार्य माना जायेगा तथा उस पर रोजगार आदि कानून लागू नहीं होंगे क्योंकि ट्रस्ट सर्वाथ हितार्थ की भावना से तथा मिले हुये चंदे, दान व सशर्त मिली अनुदान निधि पर आधारित हैं।

24. ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाए मान्यता देने वाले शैक्षिक बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी सभी नियमो व दिशा निर्देशो को मानने के लिये

(गवाह)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 927064

बाध्य होगी, तथा उन पर ट्रस्ट के नियम प्रतिकूल प्रभाव नही रखेगे। अतः यह ट्रस्टडीड लिख दी है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । इति।

मधला देवी

साक्षीः– अरुण सोलंकी पुत्र नरेश सोलंकी

ग्राम शाहबुद्दीनपुर (मु०नगर

साक्षीः–

D.W. Tahsil Sadar M.Nagar

लेख एंव निष्पादन तिथिः–13–05–2013ई0

ड्राफ्टकर्ताः–सुरेश कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

8 स्टाम्प क्रय की तिथि 13-5-13
स्टाम्प की धनराशि 50
शामिल नम्बर 4 किया गया।

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर ला०सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2016

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

आज दिनांक **13/05/2013** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **147**

पृष्ठ सं. **139** से **156** पर क्रमांक **202**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपममाहेश्वरी [शम्भू नि0लि0]

13/5/2013